राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर, 302001 दूरभाष न. 0141–2373904 ई–मेल–scr-rj@nic.in

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/99-2000/ दिनांकः

भू-प्रबंध अधिकारी,
भरतपुर।

विषयः तहसील वैर जिला भरतपुर के शेष रहे 01 ग्राम धरसोनी की बंद की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत।

प्रसंगः राजस्व ग्रुप(1) विभाग का पत्रांक प.13(15)राज.1/2010 पार्ट/5964 दिनांक 13.06.24 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील वैर जिला भरतपुर के शेष रहे 01 ग्राम धरसोनी की बंद की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.06.24 को अंतर्गत धारा 106,107 एवं 108 के तहत प्रसारित कर भिजवाई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम का नवीन अभिलेख राजस्व एजेंसी को 15 दिवस में संभलवाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवाये।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपिः- प्रभारी, आई.टी. शाखा मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की छायाप्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान,
जयपुर

RajKaj Ref
8279890

Document certified by HEMANT SWAROOP MATHUR <rashemantmathur@gmail.com>.

Digitally Signed by Hemant Swaroop Mathur
Designation : Additional Commissioner
Date :25-06-2024 04:22:34

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प013(15)राज.–1/2010पार्ट/5964 **जयपुर, दिनांक : 13/06/2024**

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जिला भरतपुर की तहसील वैर** के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमाक प.13(16)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 02.12.2002 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त 164 ग्रामों में से 163 ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जाकर अधिसूचना क्रमाक प.13(15)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 28.10.2010, 24.12.2012, 09.12.2015, 06.03.2018, 22.06.2018, 08.07.2021 व 05.04.2023 के द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष रहे **01 ग्राम धरसोनी** में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो जाने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता हैं।

आज्ञा से

(नरेन्द्र गुप्ता)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/2009–10/99–2000/पार्ट–III/6808454 दिनांक 17.05.2024
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

RajKaj Ref
7811572

Signature valid
Digitally signed by Narendra Gupta
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2024.06.13 10:38:14 IST
Reason: Approved

S.M
521 20/06/24

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प013(15)राज.–1/2010पार्ट/5964 **जयपुर, दिनांक : 13/06/2024**

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जिला भरतपुर की तहसील वैर** के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य को अधिसूचना क्रमांक प.13(16)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 02.12.2002 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु **भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर** को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त 164 ग्रामों में से 163 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(15)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 28.10.2010, 24.12.2012, 09.12.2015, 06.03.2018, 22.06.2018, 08.07.2021 व 05.04.2023 के द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष रहे **01 ग्राम घरसोनी** के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कायपूर्ण हो जाने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित करते हुये उक्त निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु नियुक्त अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

आज्ञा से

(नरेन्द्र गुप्ता)
विशिष्ट शासन सचिव

202
21/6/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/2009–10/99–2000/पार्ट–III/6806454 दिनांक 17.05.2024
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

RajKaj Ref
7811572

Signature valid
Digitally signed by Narendra Gupta
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2024.06.13 20:38:14 IST
Reason: Approved